परिशिष्ट–दो

प्रपत्र–2 (क)

कार्यालय – मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर (बे0) / 15–क / 13994-98 / मान्यता / 2019–20 / दिनांक 06 मार्च 2020

सेवा में,

प्रबन्धक / व्यवस्थापक / अध्यक्ष,
जिम्प पायनियर स्कूल,
पीताम्बरपुर, आरकेडिया ग्रान्ट, देहरादून।

विषय :– नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 19 (2) के प्रयोजनार्थ नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली–2013 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वघोषणा पत्र के क्रम में आपके विद्यालय **जिम्प पायनियर स्कूल, पीताम्बरपुर, आरकेडिया ग्रान्ट, देहरादून** को अधिनियम की धारा 19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र **दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.03. 2025 तक निर्गत किया जाता है।** जनपद देहरादून में आपके विद्यालय के **पंजीकरण संख्या 1174** है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम–18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता / अनापत्ति प्रत्यारण की कार्यवाही की जायेगी। इस अवधि में प्रशिक्षित अध्यापकों से ही अध्यापन कार्य करवायें।
(उपसचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या NOC-14/XXIV(1)/2005 शिक्षा अनुभाग –1 (बेसिक) दिनांक 28. 09.2006 के द्वारा विद्यालय को प्री–प्राईमरी से जूनियर हाईस्कूल तक अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान की गयी है।)

भवदीय

ह0 / –
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

पृ0सं0: शिविर(बे0) / 15–क / 13994- 98 / मान्यता / 2019–20 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मा0), देहरादून।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय–समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।

(आर0एस0रावत)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
देहरादून।